न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी श्री हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 239/2015

1. शीशपाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ढेंवा की ढाणी तहसील नवलगढ
2. घनश्याम पुत्र विश्वनाथ जाति महाजन निवासी धमोरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—वादी

बनाम

1. त्रिलोक पुत्र रामलाल
2. प्रभातीदेवी पत्नी स्व0 दानाराम जाति जाट निवासी ढेंवा की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
3. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

अधिवक्ता—
वादी— श्री सुभाषचन्द्र आर्य ऐडवोकेट
प्रतिवादीगण— श्री शीशुपालसिंह ऐडवोकेट

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा

निर्णय

निर्णय दिनांक 23.01.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भूमि ख.न. 340/0.05, 1156/340/0.23 किता 2 कुल रकबा 0.28 है0 वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 की तथा वादी के पिता की शामलाती खातेदारी काश्त की भूमि है जो ग्राम ढेंवा की ढाणी पसटवार हल्का टोंकछिलरी में स्थित है। इस भूमि में वादी व प्रतिवादीगण ने शामलाती मकान बना रखे हैं जिनमें रहवास करते हैं इसी भूमि में एक शामिल में विद्युत कुआ कनेक्शन का बना हुआ है। वादी व उसकी पत्नी बिमार चल रहे हैं। प्रतिवादीगण मौके का फायदा उठाकर अब उपरोक्त वर्णित भूमि पर से वादी को बेदखल करन के लिऐ मौके पर निर्माण सामग्री डलवा रहे हैं। नया निर्माण करके शामलाती भूमि पर अकेले कब्जा करना चाहते हैं। विवादित भूमि में प्रतिवादीगण ने निर्माण सामग्री डाल रखी है कभी भी पक्का निर्माण करके ये विवादित भूमि का बिना विभाजन करवाये अपनी इच्छानुसार कब्जा कर सकते हैं। दिनांक 05.10.15 को प्रतिवादी मूलचन्द ने वादी को धमकी दी थी कि हम विवादित भूमि में पक्का निर्माण करके इस पर कब्जा करेंगे तथा भूमि से बेदखल करेंगे। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित भूमि ख.न. 340/0.05, 1156/340/0.23 है0 ग्राम ढेंवा की ढाणी में बिना विधिवत विभाजन किसी वेशेष भाग पर किसी भी तहर का पक्का निर्माण कर भूमि पर कब्जा न तो स्वयं तथा न अपने परिवार सदस्य से करावें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 6 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 की और से वकील श्री शिशुपालसिंह कुलहरि का वकालतनामा पेश हुआ तथा इनकी और से जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम धींवा की ढाणी में भूमि ख.न. 340/0.05, 1156/340/0.23 है0 वादी व जबाबदेहन्दागण की शामलाती भूमि है उक्त भूमि पूर्व में ख.न. 340 व ख.न. 343 रकबा 1.40, 2.54 है0 का ही हिस्सा है जो न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2015 से विभाजित की गई थी, उक्त विभाजन के बाद वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी विवाद करने के कारण से आपस में यह तैय किया गया कि भूमि ख.न. 1155/340/0.37, 1154/340/0.04, 1153/340/0.37 वादी प्रतिवादी नं. 1 व प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 5 के हिस्से में आया है वादी के उक्त रकबा 0.37 है0 में से 0.04 है0 कम किया जावे इसी प्रकार प्रतिवादी नं. 2 लगायत 5 के 0.37 है0 में से 0.04 है0 रकबा कम किया जावे। उक्त कब्जा प्रत्येक के हिस्से में से कम किया जाकर शामलाती खाता में ख.न. 1156/340/0.23 में से 0.12 है0 मिलाकर उक्त रकबा 0.35 है0 व ख.न. 340/0.05 है0 कुल 0.40 है0 का खतोदार काश्तकार वादी व

प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 को घोषित किया जावे तथा ख.न. 1153/340, 1154/340 व
1155/340 से प्रत्येक खसरा नम्बर में से 0.04, 0.04 है0 वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 की
खातेदारी में से कम किया जाकर वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 लगायत 5 की खातेदारी मे से प्रत्येक
के 0.33है0 की तरमीम किये जाने की घोषणा फरमाई जावे। ख.न. 340/0.05 है0 रास्ते की भूमि है
जो वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 की शामालाती खातेदारी में यथावत रखी जावे व ख.न.
1156/340/0.23 है0 व ख.न. 1153/340/0.04, 1154/340/0.04 है0 ख.न. 1155/340/0.04 है0
कुल किता 4 कुल रकबा 0.35 है0 का कब्जेनुसार विधिवत विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार
किया जावे। ख.. 342/0.03 है0 जो चाह मय विद्युत पम्पिंग सेट वादी शिशपाल के हिस्से में है जिसका
उपयोग वादी ही करता आ रहा है। ख.न. 1157/340/0.01 है0 चाह मय विद्युत पम्पिंग सेट
प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 के हिस्से में आया है।

उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादी नं. 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
उक्त प्रकरण में वादी शिशपाल ने अपनी खातेदारी की भूमि ख.न. 1153/340, 1158/343 कुल रकबा
0.48 है0 सम्पूर्ण ख.न. 340, 1156/340 कुल रकबा 0.28 है0 मं से हिस्सा 13/42 सम्पूर्ण दिनांक 28.
09.2016 को घनश्याम पुत्र विश्वनाथ जाति महाजन निवासी धमोरा को विक्रय कर दी। प्रतिवादी नं. 3
लगायत 5 ने अपनी खातेदारी की ग्राम ढेंवा की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 1154/340,
1160/343 कुल रकबा 0.48 है0 में हिस्सा 3/4 तथा ख.न. 340, 1156/340 कुल रकबा 0.28 है0 में
से हिस्सा 13/56 तथा ख.न. 1157/340/343 कुल रकबा 0.43 है0 में से 3/28 सम्पूर्ण का हक
त्याग पत्र दिनांक 24.06.2016 को प्रतिवादी नं. 2 प्रभातीदेवी पत्नी दानाराम जाति जाट निवासी ढेंवा की
ढाणी के पक्ष में तस्दीक करवा दिया। वादी ने विक्रय पत्र दिनांक 28.09.2016 को तस्दीक करवाने से
वादी का उक्त आराजीयात से संबंध नही रह गया है, इसलिये वादी की जगह क्रेता घनश्याम पुत्र
विश्वनाथ जाति महाजन निवासी धमोरा को वादी संयोजित कियाजवे व प्रतिवादी नं. 3 लगायत 5 ने
प्रतिवादी नं. 2 के पक्ष में हक त्याग तस्दीक करवाने से प्रतिवादी नं. 3 लगायत 5 का उक्त आराजियात
से कोई संबंध नही रहा है। इसलिये प्रतिवादी नं. 3 लगायत 5 का नाम हजफ किया जावे। संशोधित
टाईटल पेश होने पर वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के मध्य हुये राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया
कि उपरोक्त उनवानी वाद में प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रतिवादी नं. 1 त्रिलोकचन्द की खातेदारी ख.न.
1155/340/0.37है0 प्रतिवादी नं. 2 प्रभातीदेवी की खातेदारी की भूमि ख.न. 1154/340/0.37 है0 में
से प्रत्येक खातेदार की खातेदारी में से 0.04 है0 कम करके यानि वादी के उक्त रकबा 0.37 है0 में से
रकबा 0.04 है0 कम किया ावे व प्रतिवादी नं. 1 के उक्त रकबा 0.37 हैघ0 में से 0.04 है0 कम किया
जावे व इसप्रकार प्रतिवादी नं. 2 की उक्त रकबा 0.37 है0 मं से रकबा 0.04 है0 कम किया जाकर वादी
व प्रतिवादी नं. 1 व 2 का रकबा 0.12 है0 की भूमि वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी
की भूमि ख.न. 1156/340/0.23 है0 में संयुक्त खातेदारी में दर्ज यानि तुलनात्मक उक्त रकबा 0.04
है0 प्रयेक के हिस्से में से कम किया जाकर शामलाती खाता में ख.न. 1156/340/0.23 है0 में रकबा
0.12 है0 मिलाकर उक्त रकबा 0.35 है0 व ख.न. 340/0.05 है0 कुल 0.40 है0 का खातेदार काश्तकार
वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 को घोषित किया जावे तथा ख.न. 1153/340, 1154/340,
1155/340 से प्रत्येक ख.न. में से 0.04 है0 वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 की खातेदारी में से कम किया
जाकर वादी प्रतिवादी नं. 1 व 2 की खातेदारी में से कम किया जाकर वादी प्रतिवादी नं. 1 व 2 की
खातेदारी प्रत्येक के 0.33 है0 की तरमीम किये जाने की घोषणा की जावे। भूमि ख.न 1156/340 में
पक्षकार घर बनाकर आबाद हैं। आबादी भूमि कम पडने से उक्त भूमि सयुक्त खातेदारी मे दर्ज करवाना
चाहते हैं। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि पक्षकारान का राजीनामा का प्रतिदावा डिक्री फरमाया
जावे।

पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश करने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर
उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम ढेंवा की ढाणी संवत 2068 से 2071 के
अनुसार भूमि ख.न. 1153/340/0.37, 1158/343/0.11 है0 किता 2 कुल रकबा 0.48 है0 की
खातेदारी शीशपाल पुत्र रामलाल जाति जाट सा.देह खातेदार तथा ख.न. 1155/340/0.37,
1159/343/0.11 किता 2 कुल रकबा 0.48 है0 की खातेदारी त्रिलोकचन्द पुत्र रामलाल जाति जाट
सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा ख.न. 1154/340/0.37, 1160/343/0.11 किता 2 कुल रकबा
0.48 है0 की खातेदारी प्रभातीदेवी पत्नी स्व0 दानाराम राजेश मूलचन्द पुत्र दानाराम सुमनकुमारी पुत्री
दानाराम जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। इसी जमाबंदी में ख.न. 340/0.05, 1156/340/0.23 किता 2

अधिकारी

कुल रकबा 0.28 है0 की खातेदारी रामलाल पुत्र नाराणाराम हि. 1/14 शीशपाल त्रिलोक पुत्र रामलाल प्रभातीदेवी पत्नी स्व0 दानाराम हि0 13/14 दर्ज रिकार्ड है। नामा0सं0 341 नि.दि. 22.11.2016 बेचान ख.न. 1153/340, 1158/343 किता 2 कुल रकबा 0.48 है0 में शिशपाल पिता रामलाल कौम जाट सा. देह खातेदार के बजाय घनश्याम पि0 विश्वनाथ जाति महाजन नि. धमोरा तह0 उदयपुरवाटी खतोदार स्वीकार ख.न. 940, 1156/340 किता 2 कुल रकबा 0.28 है0 में शिशपाल पि. रामलाल हि0 13/42 कौम जाट सा.दे.खातेदार के बजाय घनश्याम पि0 विश्वनाथ हि0 13/42 जाति महाजन नि. धमोरा तह0 उदयपुरवाटी खातेदार स्वीकार शेष बदस्तुर। नामा0सं0 330 दिनांक 06.08.2016 के अनुसार हकत्याग ख.न. 1154/340, 1160/343 किता 2 रकबा 0.48 है0 में प्रभाती पत्नी दानाराम राजेश मूलचन्द पि. दानाराम सुमन पुत्री दानाराम जाति जाट सा.दे.खा. के बजाय प्रभाती पत्नी दानाराम कौम जाट सात्रे.द खातेदार स्वीकार ख.न. 340, 1156/340 किता 2 कुल रकबा 0.28है0 में प्रभाती पत्नी स्व दानाराम राजेश मूलचन्द पि0 दानाराम सुमन पुत्री दानाराम जाति जाट सा.देह खातेदार के बजाय प्रभाती पत्नी स्व0 दानाराम कौम जाट सा.दे.खातेदार के बजाय प्रभाती पत्नी दानाराम कौम जाट सा.द. खातेदार स्वीकार शेष जमा. ख.न. 1157/340, 343 किता 2 कुल रकबा 0.03 में प्रभाती पत्नी दानाराम राजेश मूलचन्द पि0 दानाराम सुमन पुत्री दानाराम जाति जाट सा.देह खातेदार के बजाय प्रभाती पत्नी दानाराम कोम जाट सा.देह खातेदार स्वीकार दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार वादी नं. 2 ख.न. 1153/340 रकबा 0. 37 है0 का, प्रतिवादी नं. 1 ख.न. 1155/340 रकबा 0.37 है0 का तथा प्रतिवादी नं. 2 भूमि ख.न. 1154/340 रकबा 0.37 है0 का तथा भूमि ख.न. 1156/340 रकबा 0.23 है0 के वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 खातेदार काश्तकार हैं। वादी नं. 2 द्वारा वादी नं. 1 का हक हिस्सा क्रय किया जा चुका है। वादी नं. 2 व प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में से 0.04, 0.04 है0 कुल रकबा 0.12 है0 को शामलाती खातेदारी में घोषित करवाना चाहते हैं। वाद दुरूस्ती रिकार्ड का है जिसके संबंध मे पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की गई है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम ढेंवा की ढाणी की भूमि ख.न. 1153/340/0.37, 1155/340/0.37 तथा 1154/340/0.37है0 में से प्रत्येक ख.न. में 0.04, 0.04 है0 कम किया जाकर कुल रकबा 0.12 है0 का वादी नं. 2 व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को शामलाती रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

प्राथमिक (ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

हवाई सिंह यादव (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा

मुकदमा सं0:– 239/2015 (शिशपाल आदि बनाम त्रिलोक आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 23.01.2019 के अनुसार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम ढेंवा की ढाणी की भूमि ख.न. 1153/340/0.37, 1155/340/0.37 तथा 1154/340/0.37है0 में से प्रत्येक ख.न. में 0.04, 0.04 है0 कम किया जाकर कुल रकबा 0.12 है0 का वादी नं. 2 व प्रतिवादी नं. 1 व 2 को शामलाती रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

जिन..........–.................... मुबलिग............–............बाबत......–.................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–.........................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 23 माह 01 सन..2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मोहर

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	03.00	स्टाम्प वकालतनामा	3.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	14.00	मुतफरिक मिजान	0.00